5/12/2019----व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – International Relations)- Translation in Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sindhi, Sindhi, Tamil, Telgu - Examrace----Downloaded from examrace.com

Visit examrace.com for free study material, doorsteptutor.com for questions with detailed explanations, and "Examrace" YouTube channel for free videos lectures

Examrace

Examrace 463K

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – International Relations)

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) एक बहुपक्षीय संधि है जिसके दव्ारा राष्ट्र सैन्य या असैन्य उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के वातावरण में परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त करता है। यह 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा दव्ारा अंगीकृत की गयी थी, लेकिन यह अभी तक आठ विशिष्ट राष्ट्रों दव्ारा अनुसमर्थन नहीं दिए जाने के कारण लागू नहीं हो पायी हैं।

- सीटीबीटी अभी तक वैश्विक कानून नहीं बन पाया है क्योंकि इसके लागू होने के लिए ज़रूरी शर्तों में परमाणु प्रौद्योगिकी सक्षम सभी 44 देशों के हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

- अनुसूची 2 के आठ देशों ने संधि की अभिपुष्टि नहीं की है। चीन, मिस्र, ईरान, इजरायल और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभिपुष्टि नहीं की है जबकि भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये है।

- ″यथास्थिति संधि″ परमाणु परीक्षण पर 1954 में जवाहर लाल नेहरू की प्रसिद्ध पहल है।

- नेहरू ने 1963 की सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था, के लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- सीटीबीटी के लिए भारत की आपत्ति है कि पहले की परमाणु संधियों के जैसे ही यह दुनिया को स्थायी रूप से परमाणु ″संपन्न और वंचित″ राष्ट्रों में विभाजित करती है।